कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

क्रमांक / डी.एम.एफ. / 2023 / 8409 जांजगीर–चांपा, दिनांक 02/10/2023

जिला खनिज संस्थान न्यास(डी.एम.एफ.) मद अंतर्गत अस्थायी भर्ती संबंधी सूचना

संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,स्वास्थ्य भवन,सेक्टर–19,अटल नगर,नवा रायपुर के दिनांक 28.09.2023 को विडीयो कांफ्रेस मे दिये गये निर्देशानुसार एवं कलेक्टर महोदया द्वारा दिनांक 27.09.2023 दिये गये अनुमोदन उपरांत केवल जिला जांजगीर–चांपा/सक्ती के स्थानीय निवासीयो हेतु जिला चिकित्सालय जांजगीर मे आई.सी.यू. की सुविधा प्रारंभ करने एवं चिकित्सालय के सूचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न पदों को जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) अंतर्गत (06 माह) के लिए अस्थायी भर्ती हेतु दिनांक 06.10.2023 को प्रातः 09.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक केवल ऑफलाईन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। **केवल और केवल आवेदन ऑफलाईन के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे। दिनांक एवं समय का विशेष ध्यान रखे केवल दिनांक 06.10.2023 को प्रातः 09.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक तक ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगें।** (06 माह) के लिए अस्थायी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हताधारी योग्यता एवं रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	पद संख्या	कुल रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण				संविदा आधारित एकमुस्त मासिक वेतन	शैक्षणिक / तकनीकी आर्हता	
			UR	ST	SC	OBC		Educational Qualification	Desireable Qualification/Experience
तालिका "अ"आई.सी.यू. एवं ऑक्सीजन प्लांट हेतु									
1	स्टॉफ नर्स (आई.सी.यू.)	24	12	3	6	3	16500	BSC Nursing OR GNM Course with Passes & Live Registrati0n in Chhattisgarh Nursing Registration Council	संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव
2	ऑक्सीजन प्लांट टेक्नीशियन	2	0	1	1	0	12170	ITI Deploma in Reconized Univercity	संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव
3	आई.सी.यू. टेक्नीशियन (आई.सी.यू.)	1	1	0	0	0	12170	BSC Nursing OR GNM Course with Passes & Live Registrati0n in Chhattisgarh Nursing Registration Council	संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव
4	वार्ड आया	4	1	1	1	1	9960	8th Passed	–
5	वार्ड ब्वाय	4	1	1	1	1	9960	8th Passed	–
तालिका "ब" जिला चिकित्सालय हेतु									
6	स्टॉफ नर्स (केवल 06 माह के लिए)	20	10	2	5	3		BSC Nursing OR GNM Course with Passes & Live Registrati0n in Chhattisgarh Nursing Registration Council	संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव

Scanned with OKEN Scanner

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा–निर्देश :–

नियम एवं शर्ते–

1.1 उपरोक्त पदों पर आवेदन के समय मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/संस्था/विश्वविद्यालय, से शैक्षणिक योग्यता (समस्त सेमेस्टर/वर्षो की अंक सूची), अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें एवं सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र साथ मे लाना अनिवार्य होगा।

1.2 विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध मे समान्य शर्ते व दिशा–निर्देश एवं चयनित उम्मीद्वारो की सूची तथा भर्ती संबंधित जानकारियां जिले की बेवसाईट/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला जांजगीर–चांपा के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी एवं अन्य किसी माध्मय से सूचना नहीं दिया जावेगा।

1.3 अस्थायी भर्ती के लिए न्युनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है आयु की गणना 01 जनवरी 2023 से की जावेगी।

1.4 सभी पद पूर्णतःअस्थायी है, जो की जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा जारी मद एवं स्वीकृति के आधार पर रहेगी।

1.5 निर्धारित समय सीमा मे प्राप्त आवेदन पत्रो की जांच/स्कूटनी कर अभ्यार्थीयों की मेरिट क्रम सूची बनाई जावेगी मेरिट के आधार पर चयन सूची/प्रतिक्षा सूची जारी की जावेगी।

तालिका 'अ' के पद हेतु

1. **स्टॉफ नर्स (आई.सी.यू.) हेतु** – निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के 80 प्रतिशत अंक+ अनुभव के 20 अंक (प्रतिवर्ष 02 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष तक के लिए) एवं एन.एच.एम.मे कार्यरत अभ्यार्थीयों को अधिकतम 15 अंक (प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष तक के लिए) + नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन अभ्यार्थीयों को मितानिन के रूप मे एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंको का लाभ दिया जावेगा कार्य अवधी का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा। अनुभव के अंक को वर्ष के गुणांक के आधार पर दिया जावेगा।
2. **ऑक्सीजन प्लांट टेक्नीशियन हेतु** – निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के 85 प्रतिशत अंक+ अनुभव के 15 अंक (प्रतिवर्ष 02 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष तक के लिए) एवं एन.एच.एम.मे कार्यरत अभ्यार्थीयों को अधिकतम 15 अंक(प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष तक के लिए) निर्धारित रहेगा। अनुभव के अंक को वर्ष के गुणांक के आधार पर दिया जावेगा।
3. **आई.सी.यू. टेक्नीशियन हेतु** – निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के 80 प्रतिशत अंक+ अनुभव के 20 अंक (प्रतिवर्ष 02 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष तक के लिए) एवं एन.एच.एम.मे कार्यरत अभ्यार्थीयों को अधिकतम 15 अंक (प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष तक के लिए) + नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन अभ्यार्थीयों को मितानिन के रूप मे एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंको का लाभ दिया जावेगा कार्य अवधी का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा। अनुभव के अंक को वर्ष के गुणांक के आधार पर दिया जावेगा।
4. **वार्ड आया एवं वार्ड ब्वाय हेतु** – निर्धारित शैक्षणिक योगयता के 85 प्रतिशत अंक+अनुभव के 15 अंक (प्रतिवर्ष 02 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष तक के लिए) एवं एन.एच.एम.मे कार्यरत अभ्यार्थीयों को अधिकतम 15 अंक(प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष तक के लिए) । जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा। अनुभव के अंक को वर्ष के गुणांक के आधार पर दिया जावेगा।

तालिका 'ब' पद हेतु

5. **स्टॉफ नर्स (जिला चिकित्सालय) हेतु** – निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के 80 प्रतिशत अंक+ अनुभव के 20 अंक (प्रतिवर्ष 02 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष तक के लिए) एवं एन.एच.एम.मे कार्यरत अभ्यार्थीयों को अधिकतम 15 अंक (प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष तक के लिए) + नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन अभ्यार्थीयों को मितानिन के रूप मे एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंको का लाभ दिया जावेगा कार्य अवधी का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा। अनुभव के अंक को वर्ष के गुणांक के आधार पर दिया जावेगा।

1.6 दस्तावेज सत्यापन के समय एवं चयनित होने के पश्चात निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक स्वप्रमाण्ति प्रतिलिपि के साथ अभ्यार्थीयों को उपस्थित होना/प्रस्तुत करना अनिवार्य हेः–

- 10 वीं की अंकसूची

Scanned with OKEN Scanner

- 12 वीं की अंकसूची
- संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की समस्त वर्षो की अंकसूची
- संबंधित पद हेतु वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की समस्त वर्षो की अंकसूची
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि/प्रमाण पत्र।
- संबंधित कौंशिल/जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति/निवास प्रमाण पत्र (आवश्यकता होने पर उच्चास्तरीय छानबीन समिति) द्वारा अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिला जांजगीर–चांपा/सक्ती का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/पेन कार्ड/ड्राइविंग लायसेंस आदि जिसमें अभ्याथीयों का नाम एवं पता,फोटो हो)
- यदि दिव्यांग है तो (दिव्यांग प्रमाण पत्र)
- कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं आदेश की प्रति।
- विशेष छूट हेतु प्रमाण पत्र।
- अन्य आवश्यक दस्तावेज(यदि लागू हो तो)।

•अनुभव प्रमाण पत्र – अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होगें। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यार्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेगें। अनुभव प्रमाण पत्र नियोक्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिसके लिए प्रतिवर्ष के मान से 02 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को पद से संबंधित अनुभव प्रतिवर्ष के मान से 03 अंक अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जायेगा, तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेगें।

•अवर सचिव छ.ग.शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का ओदश क्रमांक/एफ 1–67/2021/सत्रह एक नवा रायपुर,अटल नगर दिनांक 07 दिसंबर 2021 क तहत कोरोना वैशविक महामारी के दौरान छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं मे नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मीयों को पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा। उक्त संबंध मे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।

•चयन सूची मे समान अंक/ग्रेड प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यार्थीयों की जन्म तिथि (अधिक आयु) को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यार्थी की उम्र अधिक होगी, उसे वरीयता प्रदान की जावेगी।

•उक्त अभिलेखों का एक स्वप्रमाणित सेट अभ्यार्थीयों को उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा तथा किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यार्थी की नियुक्ति समाप्त/अमान्य की जा सकेगी।

•नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन अभ्यार्थीयों को मितानिन के रूप मे एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देने हुए अधिकतम 20 अंको का लाभ दिया जावेगा कार्य अवधी का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा।

1.7 दावा–आपत्ति हेतु अभ्यार्थीयों को एक निश्चित समय दिया जावेगा। आवेदन/सूची मे त्रुटियों की स्थिति में चयन समिति इन दावा–आपत्ति का निराकरण कर निर्णय लेगी तथा दावा–आपत्ति निराकरण एवं पात्र अभ्यार्थीयों की सूची जारी करेगी एवं दावा–आपत्ति के समय के पश्चात किसी भी दावा–आपत्ति को स्वीकार/मान्य नहीं किया जावेगा तथा दावा–आपत्ति निर्धारित समय पश्चात कोई भी नवीन दस्तावेज स्वीकार/मान्य नहीं किया जावेगा।

1.8 **उक्त पदों की भर्ती हेतु केवल व केवल जिला जांजगीर–चांपा/सक्ती जिले के मूल निवासी आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।**

1.9 प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित नगद आवेदन शुल्क– सचिव जीवन दीप समिति,जिला चिकित्सालय जांजगीर के नाम से देयक होगा जो फार्म जमा करते समय आवेदक द्वारा काउंटर मे नगद दिया जावेगा। जिसकी रसीद आवेदक को उपलब्ध करायी जावेगी। आवेदन शुल्क विवरण निम्नानुसार (वापसी योग्य नहीं) होगी।

Scanned with OKEN Scanner

वर्ग	मानदेय प्रतिमाह 25000 से कम आय के पदों के लिए
दिव्यांग/अ.जा./अ.ज.जा./महिला	100/–
अन्य पिछड़ा वर्ग	200/–
अनारक्षित संवर्ग	300/–

1.10 ऐसे समस्त आवेदक जिनका न्यूनतम योग्यता ग्रेंडिंग सिस्टम पर आधारित है। ग्रेड को प्रतिशत मे परिवर्तनः–ग्रेड विवरण के अनुसार अभ्यार्थी ग्रेड का प्रतिशत निकालने के लिए औसत प्रतिशत निकालना होगा।

जैसे– 81–100 के प्रतिशत वाले अभ्यार्थी को ग्रेड–A है तो प्रतिशत का औसत निकालने के लिए

औसत प्रतिशत = 81+100/2=91

इसी प्रकार सभी ग्रेड का औसत प्रतिशतः–

ग्रेड	अंको का प्रतिशत	प्रतिशत
A	81–100	91
B	66–80	73
C	51–65	58
D	36–50	43

समान अंक/ग्रेड प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यार्थीयों की जन्मतिथि को आधार पर मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यार्थीयों की उम्र अधिक होगी, उसे वरीयता प्रदान की जावेगी।

1.11 मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नही होगा। चयन के पश्चात भी किसी भी समय किसी पत्र/प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनो पक्षो से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था मे नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी एवं आवेदित पद पर चयन्ति होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।

1.12 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण मे यह पाया जाता है कि उम्मीद्वार द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध मे कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

1.13 CGPA से प्राप्त अंको को 9.5 से गुणा कर प्रतिशत की गणना की जावेगी।

1.14 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान मे कार्यरत उम्मीद्वारो को अपने नियोक्ता संस्थान से अनापित्त प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1.15 शैक्षणिक योगयता जिस संस्था से प्राप्त है, उस संस्था का यू.जी.सी.,ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

1.16 चयनित अभ्यार्थी को कार्य मे उपस्थित होने के पश्चात मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अस्थायी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यार्थी को त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा

1.17 अस्थायी सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।

1.18 अस्थायी पद पर नियुक्त कर्मचारियों कार्य मूल्यांकन किया जावेगा।

1.19 ऐसे अभ्यार्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार/किसी अन्य कारण से किसी भी शासकीय संस्था द्वारा सेवा समाप्त की गयी है चाहे वह किसी भी पद पर रहे हो उन्हे अपात्र उम्मीद्वारों की संज्ञा मे रखा जावेगा।

1.20 चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीद्वारो को 50 रूपये का अनुबंध पत्र (बांड) भरना अनिवार्य होगा।

1.21 उक्त पदों के लिए प्रवर्गवार प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगा जिसकी वैद्याता चयन सूची प्रकाशन तिथि से आगामी न्युनतम 01 वर्ष अथवा नवीन भर्ती के विज्ञापन जारी होते तक रहेगी।

Scanned with OKEN Scanner

1.22 उक्त संविदा पद अस्थानान्तरणीय होगें तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल मे उपस्थिति देना एवं मुख्यालय निवास करना अनिवार्य होगां निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल मे अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यार्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

1.23 उक्त अस्थायी कर्मचारियों हेतु शासन द्वारा निर्धारित सप्ताहिक विश्रामावकाश की पात्रता होगी।

1.24 संविदा नियुक्त कर्मचारी छ.ग. सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 से शासित होगें।

1.25 उपरोक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवार एवं समस्याओं का अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा। जो सभी आवेदको को मान्य होगा।

1.26 योग्य उम्मीद्वार नहीं होने की दशा मे चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।

1.27 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यार्थीयों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (टीप– स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होगें)

1.28 अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगें तथा आवेदन में पदनाम एवं श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

1–ऑफलाईन आवेदन फॉर्म दिनांक 06.10.2023 को प्रातः 09.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जांजगीर–चांपा के कार्यालय में स्वीकार किये जावेंगे। प्रातः 11.00 बजे के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

2– दिनांक 06.10.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु प्रारंभिक मेरिट सूची प्रकाशित की जावेगी, जो कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी।

3– दिनांक 06.10.2023 को समय दोपहर 01.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक दावा आपत्ति आवेदन ऑफलाईन के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में प्राप्त की जावेगी।

4– दिनांक 06.10.2023 को 03.00 बजे प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित की जावेगी।

5– अभ्यार्थीयों की संख्या अधिक होने की स्थिति में प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची प्रकाशन आगामी दिवस हेतु आरक्षित की जा सकेगें जिसकी सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी।

6– किसी भी विवाद की स्थिति मे कलेक्टर,जांजगीर–चांपा/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला जांजगीर–चांपा का निर्णय सर्वमान्य होगा।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

विज्ञापित पद का नाम ....संवर्ग..

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) – ....
   आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में) – ....
2. पिता/पति का नाम – ....
3. माता का नाम – ....
4. जन्म तिथि अंको में – ....
5. आयु 01.01.2023 की स्थिति में – ....
6. जाति (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव) – ....
7. लिंग (पुरूष/महिला/अन्य) – ....
8. छ.ग. मूल निवासी है या नहीं – ....
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. स्थायी निवास का पता – ....
   – ....
   – ....
10. पत्र व्यवहार का पता – ....
   – ....
   – ....

मो.नं.–..ई–मेल आईडी..................

11. शैक्षणिक योग्यता –शैक्षणिक योगयता की जानकारी गलत/अधूरा भरा जाने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा।

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विवि का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्णांक	उत्तीर्ण परीक्षा का प्राप्तांक	प्रतिशत

12. अनुभव का विवरण – ....
   – ....

13. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रो की सूची – सभी सेमेस्टर/वर्षो का)

1 2
3 4
5 6
7 8

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र मे दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। जो किसी भी स्थिति मे असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीद्वारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जाएगें

स्थान–......................
दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम – ....
पूर्ण पता – ....

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
email: cmhojanjgir@gmail.com
email: dpmujanjgir@gmail.com

क्रमांक / एन.एच.एम. / 2023–24 / 8407

जांजगीर, दिनांक 03 / 10 / 2023

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी
जिला जांजगीर – चांपा (छ.ग.)

विषय :– जिला चिकित्सालय जांजगीर में आई.सी.यू. एवं जिला चिकित्सालय संचालन हेतु डीएमएफ मद अंतर्गत विभिन्न पदों पर मानव संसाधन की अस्थायी भर्ती हेतु विज्ञापन जिला वेबसाईट में अपलोड करने बाबत्।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला चिकित्सालय जांजगीर में आई.सी.यू. एवं जिला चिकित्सालय जांजगीर के संचालन हेतु डीएमएफ मद अंतर्गत विभिन्न पदों पर मानव संसाधन की अस्थायी भर्ती हेतु संलग्नानुसार विज्ञापन को जिला विभागीय वेबसाईट WWW.Janjgir-Champa .nic.in में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

पृं.क्रमांक / एन.एच.एम. / 2022–23 / 8408

दिनांक 03 / 10 / 2023

प्रतिलिपि :

1. संचालक, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला जांजगीर चांपा की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी स्वास्थ्य विभाग, जिला पंचायत, जिला जांजगीर–चांपा की ओर सूचनार्थ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, संभाग–बिलासपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
7. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय जिला जांजगीर–चांपा की ओर सूनचार्थ।
8. कार्यालयीन प्रति।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner